न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.
पीठासीन अधिकारी :— शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

प्रार्थी :—

बनाम

अप्रार्थी :—

1. पदमादेवी पत्नी बालसिंह
2. गोतमसिंह पुत्र बालसिंह
3. जयसिंह पुत्र बालसिंह

जाति रावणारा राजपूत
निवासी जावला हाल जोधपुर

राज. सरकार जरिये
तहसीलदार, परबतसर

प्रार्थना पत्र बाबत :— अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट
उपस्थित :— श्री जगदीश सिंह अधिवक्ता प्रार्थीगण

मुकदमां नम्बर :— 2020 / 134

निर्णय दिनांक :— 13/8/22

निर्णय

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम जावला खसरा नम्बर 10 व 11 स्थित है, जिसके राजस्व रिकार्ड में अशुद्धियां रह गई है जो निम्न प्रकार से है जिनकी निम्नानुसार शुद्धिया किया जाना आवश्यक है, बालसिंह की जगह बालकिशन है जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र पेश है, कालूसिंह की जगह संतोषसिंह पुत्र बालकिशन, गोतमसिंह पुत्र बालकिशन तथा पतमा की जगह पदमादेवी पत्नी बालकिशन है दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने प्रकरण में राजहित निहित नहीं होने से जबाब पेश नहीं करना चाहे जाने पर जबाब बन्द किया गया।

3. हमने प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक एंव राजपैरोकार की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि क सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का आद पूर्वक अध्ययन किया गया।

4. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन अनुसार प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2076–79 पेश की है जिसमें ग्राम जावला के खसरा नम्बर 10, 11 कुल रकबा 4.90 हैक्टयर भूमि कालूसिंह, गोतमसिह, जयसिंह पि. बालसिंह एवं पतमा पत्नी बालकिशन प्रत्येक का 1 / 10 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है, शेष भूमि अन्य खातेदारो की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। इसके अतिरिक्त बालकिशन दरोगा का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया है, तथा पदामादेवी , जयसिंह, संतोषसिह का आधार कार्ड

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

पेश किया है जिसमें पिता व पति का नाम बालकिशन दर्ज है इसके अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण ने ग्राम जावला के खसरा नम्बर 10, 11 कुल रकबा 4.90 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण 2, 2 के पिता का नाम बालसिंह के स्थान पर बालकिशन एवं प्रार्थी संख्या 1 के स्वंय का नाम पतमा के स्थान पर पदमादेवी दर्ज करने की इस्तदुआ की है तथा कालूसिंह पुत्र बालसिंह के स्थान पर कालूसिंह के स्थान संतोषसिंह पुत्र बालकिशन दर्ज कर रिकार्ड कर दुरूस्त करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के साथ ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे साबित होता है कि प्रार्थीगण के पिता या पति का नाम कभी राजस्व रिकार्ड में नाम बालकिशन दर्ज रहा हो या उक्त आराजीयत प्रार्थीगण की पैतृक भूमि है या खरीद सुदा भूमि है के सम्बन्ध में भी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है साथ उक्त विवादित भूमि में प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम कभी बालकिशन दर्ज रहा हो ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है, साथ ही प्रार्थीगण ने कालूसिंह की जगह संतोष सिंह बालकिशन दर्ज करने की इस्तदुआ की है। लेकिन इस प्रार्थना पत्र में न तो कालूसिंह को पक्षकार बनाया गया है न ही संतोषसिंह को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीगण 2, 3 के हस्ताक्षर पस्तुत इस प्रार्थना पत्र पर नहीं है न ही पत्रावली में उपलब्ध वकालतनामें पर हस्ताक्षर है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों का प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से साबित नहीं होते है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत प्रतिपादित नियमों नहीं होता है। जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। यह आदेश आज दिनांक 13/8/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)